[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 1st May, 2015]

हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
दिनांक 1 मई , 2015

संख्या 3/154/2011–3एच0बी0 ।।। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, इस के द्वारा, हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, उप नियम (1) में, "प्ररूप संख्या 1, 2 और 3" शब्दों, अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, "प्ररूप संख्या 1, 1 क, 2 और 3" शब्द, अंक, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 9 में, –

(i) उप नियम (1) में, "दो रूपये शब्दों के स्थान पर, "दस रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) उप नियम (2) में, "पांच रूपये" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे, तथा

(iii) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(3) किसी जन्म या मृत्यु उसके होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है, तो केवल उप मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश पर पचास रूपये की विलम्ब फीस के भुगतान पर, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक अथवा शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र सहित तथा जन्म या मृत्यु, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से सम्बन्धित किसी प्रामाणिक दस्तावेज पर रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा:

परन्तु इस प्रयोजन हेतु, आवेदन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा विहित दस्तावेजों सहित क्षेत्र के रजिस्ट्रार को किया जायेगा। रजिस्ट्रार जांच करने के बाद आवेदन जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा तथा जिला रजिस्ट्रार जांच करने के बाद आवेदन जांच तथा आदेश हेतु सम्बन्धित उप मंडल मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सूचना के सम्बन्ध में किसी संदेह की दशा में किसी भी स्तर पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि किसी जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रीकरण उसके होने के पन्द्रह वर्ष के भीतर नहीं किया गया है, के लिये आवेदन जिला रजिस्ट्रार द्वारा सम्बन्धित उप मंडल मजिस्ट्रेट को उसे जांच तथा आदेश हेतु भेजने से पूर्व मुख्य रजिस्ट्रार को उसके आदेश के लिए भेजा जायेगा।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 10 में, उप नियम (1) में, उप–खण्ड (क) तथा (ख) में "पांच रूपये" शब्दों के स्थान पर, "पचास रूपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5 उक्त नियमों में, नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

" (1) प्ररूप संख्या 1, 1क, 2 और 3 के भाग–1 में दी गई विधिक सूचना कमशः प्ररूप संख्या 7, 8 और 9 में जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर से मिलाकर बनेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन को नया रजिस्टर खोला जाएगा।

(3) घटना जो किसी पूर्व वर्ष में घटी है, वर्ष जिसमें इसकी रिपोर्ट की गई है, के लिए रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी :

परन्तु कोई भी प्रविष्टि पूर्व में अभिलिखित दो प्रविष्टियों के बीच में अन्तर्वेशित नहीं की जाएगी।"

6. उक्त नियमों में, नियम 13–(i) में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(1) धारा 17 के अधीन की जाने वाली तलाशी, जारी किये जाने वाले उद्धरण अथवा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र के लिए भुगतानयोग्य फीस निम्नानुसार होगी :–

(क) किसी एक प्रविष्टि की तलाशी के लिए तलाश किए जाने वाले प्रथम वर्ष के लिए	₹ 10.00
(ख) तलाश किये जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए	₹ 10.00
(ग) प्रत्येक जन्म या मृत्यु से सम्बन्धित उद्धरण देने के लिए	₹ 25.00
(घ) जन्म अथवा मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र देने के लिए	₹ 25.00 :

परन्तु तुरन्त अपेक्षा के मामले में, कोई उद्धरण देने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ तुरन्त फीस के रूप में सौ रूपये की अतिरिक्त फीस भुगतान की जायेगी। उस मामले में उद्धरण आवेदन प्राप्ति के तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा :

परन्तु यह और कि प्रथम मई, 2015 के पश्चात दर्ज घटनाओं हेतु यदि उद्धरण की प्रतियां सामुहिक सेवा केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो रजिस्ट्रार द्वारा कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। तथापि रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की गई उद्धरण की प्रतिया प्रदान करने के लिए फीस प्रभारित की जाएगी :–

परन्तु यह और कि निम्नलिखित को उद्धरण की प्रतियां देने के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी –

(i) राज्य सरकार; और

(ii) भारत संघ की सशस्त्र सेनाओं के मृतक कर्मियों के निमित्त पेंशन के दावों के सम्बन्ध में जिला सैनिक, नाविक तथा नौसैनिक बोर्ड।"

(2) उप नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"(5) रजिस्ट्रार के अनुलिपि हस्ताक्षर वाले कम्पयूटर द्वारा तैयार उद्धरण वैध रुप से स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे उद्धरण, यदि अपेक्षित हो, क्यू.आर. कोड का प्रयोग करके या सामूहिक सेवा केन्द्र द्वारा जारी किये गये ऐसे उद्धरण में दिये गये लिंक से सत्यापित किये जा सकते हैं।

7. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 1, ,2, 3, 5 तथा 6, सलंग्न, प्रतिस्थापित किये जायेगें।

8. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 1के बाद, प्ररूप सख्या 1 क ,सम्मिलित किया जायेगा।

राम निवास
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग

दिनांक ,चण्डीगढ़
30.04.2015